



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

क्रमांक : F-4 ()/मगसविबी/स्टोर /2016/ 10768

दिनांक : 28/07/16

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रु.	निविदा शुल्क रु
1.	विश्वविद्यालय में परीक्षा वर्ष 15 के योग्य छात्र/छात्राओं हेतु स्वर्ण पदक आपूर्ति	2.50	5,000/-	200/-
2.	विश्वविद्यालय में माइक्रोसॉफ्ट अधिकृत फर्मों द्वारा कैंपस रिन्यूअल	3.25	6,500/-	200/-
3.	विश्वविद्यालय/कुलपति आवास पर सफाई व्यवस्था	15.00	30,000/-	400/-
4.	खेल गणवेश (ट्रैक-सूट, टीशर्ट, नेकर तथा सॉक्स) क्रय	6.00	12,000/-	200/-

नोट : 1. बिना धरोहर राशि, सशर्त, अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होंगी 2. क्र.सं 1 से 4 के कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित 19.08.16 को मध्याह्न 1:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेगी एवं उसी दिन मध्याह्न 03:00 बजे निविदायेँ खोली जायेगी। 3. अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsbikaner.ac.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है, उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. शुल्क द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।

Pralim
वित्त नियंत्रक



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

कार्य का नाम-	गोल्ड मेडल क्रय	निविदा फॉर्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	19.08.16 अपरान्ह 1:00 बजे तक
निविदा क्रमांक-	प4 ()/मगविबी/स्टोर/गोल्ड मेडल/दिनांक	निविदा खोलने की तिथि	19.08.16 अपरान्ह 3:00 बजे
अनुमानित लागत	2.50 लाख	धरोहर राशि	5000/-

1. (वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम.....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.....
4. किनको सम्बोधित किया गया.....
5. संदर्भ.....
6. निविदा शुल्क की राशि नकद रसीद..... एवं दिनांक..... द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ड्राफ्ट संख्या..... के द्वारा जमा करा दी गई है ।
7. हम..... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. गोल्ड मेडल की आपूर्ति के लिये दरें निम्नांकितानुसार होगी। सामग्री की सप्लाई कीमत (उत्पादक शुल्क, कार्टिज, पैकिंग आदि शामिल करते हुए) केन्द्रिय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूंगी कर यदि कोई इसमें से डिस्काउन्ट, छूट (रिबेट) को घटा शुद्ध मूल्य अर्थात् दर समस्त कर सहित प्रतिनग होगी ।

क्र० सं०	विवरण	प्रमाण	दर प्रति नग समस्त कर सहित
1	गोल्ड मेडल	1. प्रत्येक स्वर्ण पदक 1.5 इंच व्यास का होगा 2. पदक के ऊपर रिग का हुक भी अलग से लगा होगा 3. स्वर्ण पदक में 22 ग्राम चांदी (रिग सहित) का उपयोग होगा 4. चांदी की शुद्धता 99.50 प्रतिशत से कम नहीं होगी 5. स्वर्ण पदक पर विधिवत् स्वर्ण पालिश की हुई होगी 6. प्रत्येक पदक के एक तरफ विश्वविद्यालय का मोनोग्राम डार्क के द्वारा बनेगा। पदक के दूसरी तरफ गोल घेरे में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, प्रथम स्थान डार्क के द्वारा बनेगा । शेष चार आईटम कक्षा का नाम, विषय का नाम, छात्र/छात्रा का नाम एवं वर्ष का अंकन खुदाई द्वारा किया जायेगा । 7. प्रत्येक पदक एक अलग उच्च किस्म के प्लास्टिक बॉक्स (With velvet having a hook inside the box) में संकाय वाईज हरे, पीले, नीले रंग के रिबन सहित आपूर्ति की जावेगी ।	

नोट:- उपरोक्त बिन्दु में गोल्ड मेडल की समस्त मदों/प्रमाण के लिए एक ही इकजाई दर प्रस्तुत करें ।

9. फर्म को आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी
10. बैंक ड्राफ्ट / बैंक चैक संख्या..... जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या / चालान संख्या..... दिनांक रूपये..... के लिये बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है ।
11. निविदा पत्र के साथ बिक्री कर (वैट) पत्र संलग्न है ।
12. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर चुकता पत्र संलग्न है ।
13. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर
स्वर्ण पदक क्रय की निविदा की शर्तें

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर स्वर्ण पदक क्रय ही भरकर देनी होगी ।
अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि अनुमानित लागत
की दो प्रतिशत की दर से अग्रिम बतौर टैण्डर के साथ लगानी होगी ।
2. किसी प्रकार की प्रति-शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नहीं होगी।
3. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं होनी चाहिए। किसी कारण काट-छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. प्रत्येक स्वर्ण पदक 1.5 इंच व्यास का होना चाहिए ।
6. पदक के ऊपर रिंग का हुक भी अलग से लगा होना चाहिए ।
7. स्वर्ण पदक में 22 ग्राम चांदी (रिंग सहित) का उपयोग होना चाहिए ।
8. चांदी की शुद्धता 99.50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।
9. स्वर्ण पदक पर विधिवत् स्वर्ण पालिश की हुई होनी चाहिए-
10. प्रत्येक पदक के एक तरफ विश्वविद्यालय का मोनोग्राम ड्राई के द्वारा बनेगा । पदक के दूसरी तरफ गोल घेरे में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, प्रथम स्थान ड्राई के द्वारा बनेगा । शेष चार आईटम कक्षा का नाम, विषय का नाम, छात्र/छात्रा का नाम एवं वर्ष का अंकन खुदाई द्वारा करना होगा ।
11. आपूर्ति किये गये पदकों में से किसी एक पदक में प्रयुक्त धातु की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाई जावेगी ।
12. प्रयोगशाला जांच हेतु पदक विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोगशाला को भिजवाया जावेगा । निर्धारित शुद्धता/मानदण्डों के अनुसार पाये जाने पर व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा अन्यथा यह व्यय फर्म को वहन करना होगा ।
13. पदक में लगी चांदी का भार चांदी की शुद्धता तथा उस पर लगी सोने की पॉलिश की शुद्धता में यदि कोई कमी पाई गई तो विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई शास्ती अंतिम होगी ।
14. प्रत्येक पदक एक अलग उच्च किरम के प्लास्टिक बॉक्स (**With velvet having a hook inside the box**) में संकाय वाईज हरे, पीले, नीले रंग के रीबन सहित आपूर्ति करनी होगी।
15. निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्र में अंकित दर ही अन्तिम दर मानी जायेगी ।
16. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नमूने के अनुरूप आदेश जारी होने के 15 दिवस में आपूर्ति करनी होगी ।
17. आपूर्ति कर्ता को दरों, गुणवत्ता, आपूर्ति अवधि आदि के लिए अनुबंध करना होगा ।
18. निविदा के लिफाफे के ऊपर **गोल्ड मेडल निविदा** अंकित किया जावे।
19. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ शब्दों में अवश्य लिखी जानी चाहिए।
16. निविदा उन फर्मों/ व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं/सामान/साज-सज्जा/मशीनों आदि के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित प्रदायक हैं या उनके द्वारा जो उस सामान का, जिसके लिए निविदा दी जा रही है वास्तव में रजिस्टर्ड व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहे हों , दी जानी चाहिए ।
17. फर्म को पदक की आपूर्ति विश्वविद्यालय भण्डार में देनी होगी, आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की क्षति/हानी/दुर्घटना आदि के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
18. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारमूल के किसी भाग को न तो किसी एजेन्सी को सौंप

19 विश्वविद्यालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय पर प्रदायक के भूयह आदि में जा सकेगा और किसी भी समय पर पदक की जांच और परीक्षा करने के लिए सक्षम होगा। निविदाकार को आपने कार्यालय, गोदाम, वर्कशाप एवं उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता देना होगा ताकि सम्पर्क स्थापित किया जा सकें।

20. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण और शोधन प्रमाण-पत्र- कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित किया जाना चाहिए था, संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

21. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।

22. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।

23. i. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मों द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदा दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।

ii. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

24. मूल अधिमान-मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।

25. विधिमान्यता:- निविदाएं खोले जाने की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।

26. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले मालके संबंध में समस्त शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राईंग्स आदि का सावधानी पूर्वकपरीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग या विनिर्देश ड्राईंगआदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

27. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।

28. विनिर्देश:-

i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप मे अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।

ii. तारकित क्रमांक की वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामलों में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोत्तम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।

iii. वारंटी/गारंटी:- निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि हेतु माल/ भण्डार/वस्तुएं निविदिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण /तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त तीन वर्ष की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

- iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामलों में भी उपर्युक्त खण्ड (3) में वर्णित गारंटी दी जाएगी और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल कुर्जा, यंत्रोद्देश्य हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोषपूर्ण पाए जाएं और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता। निर्धारित अपवधि में प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।
29. निरीक्षण:-
- क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
 - निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलों में जो क्वॉटेशन में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए हैं उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।
30. अस्वीकृत किया जाना:-
- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
 - तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
31. अस्वीकृत की सूचना के 5 दिन के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस नीति से करावे जिसे वह उपयुक्त समझे।
32. निविदादाता इस बात हेतु दायी होना कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके। किसी हानि नुकसान टूट-फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के लिए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
33. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
34. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरहता होगा।
35. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरे नब्बे दिवस के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी
- मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
 - यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
36. बयाना राशि:-
- निविदा के साथ रूपये 5000/- की बयाना राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी होगी
 - असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस की दी जाएगी
 - बयाना राशि से छूट:- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति

- प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।
- iv. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बयाना राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
 - v. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पड़ी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले निविदाओं के संबंध में पड़ी हुई है। नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।
37. बयाना राशि का समपहरण— बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा।
- i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो
 - iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
 - iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार शर्तों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता है।
38. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेप—
- i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी।
 - ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
 - iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराई जावेगी। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरुद्ध कोई देयच बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी।
- (ब)
- i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फॉर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे।
 - ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।
 - iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण—प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।
 - (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 - (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 - iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने के क्रम में निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।
39. i. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।
- ii. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएंगे परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप पाए जाएं।
40. शर्तें :-
- i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।
 - ii. निर्धारित नुकसान—निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।
 - iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 25 प्रतिशत
 - (ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत
 - (ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत

- (घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत
- iv. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आठ दिन से कम हो ।
- v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी ।
- vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं ।
- vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा ।
41. वसूलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट-फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेंगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी । यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
42. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मर्दों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
43. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।
- i. भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
- ii. यदि फर्म फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
- iii. एक मात्र स्वत्याघारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक
- iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण ।
44. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंधमें संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदित किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।
45. आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र पत्रधारी निर्माताओं एवं उद्योग विभाग द्वारा पंजिकृत स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, एवं पंजीकृत खादी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी ।
46. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं ।
47. समस्त व्यवस्थाओं के लिए वही फर्म आवेदन करें जो की उस सम्बंधित व्यवसाय में कार्यरत हों । अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
48. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी
49. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर